



उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून
लेन नं० 3, भवन संख्या-23, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड़, देहरादून।

E-mail: ukmssbdun@gmail.com, Website: www.ukmssb.org, Phone: 0135- 2665366

पत्र संख्या: उ0चि0से0च0बो0/परी0/14/2025-26/276

दिनांक: 31 मार्च, 2026

उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्सा अधिकारी के रिक्त 287 पदों (बैकलॉग पदों सहित) पर अभिलेख सत्यापन उपरान्त अनर्ह अभ्यर्थियों एवं अभ्युक्ति युक्त अभ्यर्थियों की सूचना

उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या- उ0चि0से0च0बो0/परी0/14/2025-26/784, दिनांक 13 नवम्बर 2025 के माध्यम से उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी के रिक्त 287 (बैकलॉग पदों सहित) पदों पर चयन हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया, जिसके क्रम में दिनांक दिनांक 19 जनवरी 2026 से 23 फरवरी 2026 तक अर्ह अभ्यर्थियों की अभिलेख सत्यापन एवं साक्षात्कार परीक्षा कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयोजित की गई। अभिलेखों के सत्यापन के उपरान्त अनर्ह घोषित किये गये अभ्यर्थियों एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित की गई श्रेणी-उपश्रेणी सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र/दस्तावेज उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों की सूची संलग्न कर प्रसारित की जा रही है।

संलग्नक-

1. अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची।
2. श्रेणी-उपश्रेणी सम्बन्धी वैध प्रमाण पत्र/दस्तावेज उपलब्ध न कराने वाले अभ्यर्थियों की सूची

ह0/-
(प्रदीप जोशी)
सचिव

ORDINARY GRADE MEDICAL OFFICER EXAMINATION- 2025

अभिलेख सत्यापन उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

S.No.	Date of DV/Interview	Registration No.	Roll No.	Cause of Rejection
1	19-Jan-2026	9001001534	1952022073	अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावित तथा प्रस्तुत हरियाण मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण (दिनांकित 13 अक्टूबर, 2020) दिनांक 12 अक्टूबर, 2025 तक वैध है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
2	24-Jan-2026	9001002656	1952022433	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 तक देश की किसी मेडिकल काउंसिल में स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। अभ्यर्थी के पास पंजाब मेडिकल काउंसिल का औपबन्धिक पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा इंटर्नशिप भी पूर्ण नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
3	29-Jan-2026	9001001674	1952022665	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 तक देश की किसी मेडिकल काउंसिल में स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। अभ्यर्थी के पास पंजाब मेडिकल काउंसिल का औपबन्धिक पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा इंटर्नशिप भी पूर्ण नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
4	29-Jan-2026	9001001447	1952022669	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 तक देश की किसी मेडिकल काउंसिल में स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। अभ्यर्थी के पास पंजाब मेडिकल काउंसिल का औपबन्धिक पंजीकरण प्रमाण पत्र उपलब्ध है तथा इंटर्नशिप भी पूर्ण नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

ORDINARY GRADE MEDICAL OFFICER EXAMINATION- 2025

अभिलेख सत्यापन उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

S.No.	Date of DV/Interview	Registration No.	Roll No.	Cause of Rejection
5	3-Feb-2026	9001000150	1952022967	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने के उपरान्त साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। अतः अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में अंतिम रूप से अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।
6	31-Jan-2026	9001002036	1952022805	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 तक देश की किसी मेडिकल काउंसिल में स्थाई रूप से पंजीकृत नहीं है। अभ्यर्थी की इंटर्नशिप भी पूर्ण नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
7	10-Feb-2026	9001000565	1952023370	अभ्यर्थी की इंटर्नशिप पूर्ण नहीं है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 के उपरान्त दिनांक 03 फरवरी, 2026 को जारी है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
8	11-Feb-2026	9001002813	1952023450	अभिलेख सत्यापन में भी अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल की पंजीकरण करने हेतु रसीद संख्या यू0एम0सी0 29122 दिनांकित 06 नवम्बर, 2025 संलग्न की गयी है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
9	12-Feb-2026	9001002578	1952023490	अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन में उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल का औपबन्धिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जोकि दिनांक 28.06.2024 को निर्गत है प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

ORDINARY GRADE MEDICAL OFFICER EXAMINATION- 2025

अभिलेख सत्यापन उपरान्त अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची

S.No.	Date of DV/Interview	Registration No.	Roll No.	Cause of Rejection
10	12-Feb-2026	9001000232	1952023499	अभ्यर्थी द्वारा अभिलेख सत्यापन में उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल का औपबन्धिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 7 में उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का देश के किसी भी राज्य की मेडिकल काउंसिल में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास वैध/नवीनीकृत मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।
11	14-Feb-2026	9001000921	1952023635	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने के उपरान्त साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। अतः अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में अंतिम रूप से अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।
12	14-Feb-2026	9001000919	1952023650	अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन में सम्मिलित होने के उपरान्त साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुए। अतः अभ्यर्थी को उक्त परीक्षा में अंतिम रूप से अनर्ह घोषित करते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जाता है।

ORDINARY GRADE MEDICAL OFFICER EXAMINATION- 2025

अभ्युक्ति युक्त अभ्यर्थियों की सूची

S.No.	Date	Registration No.	Roll No.	Remark
1	19-Jan-2026	9001002218	1952022052	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावित एवं अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15- एच में स्पष्टतः उल्लेख है कि अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए और आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को शासनादेश दिनांक 26.02.2016 के अनुसार मान्य होना चाहिए अर्थात दिनांक 10 दिसम्बर 2022 से पूर्व के तथा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 के बाद के प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं किया गया है। अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में आगणित किया गया है।
2	20-Jan-2026	9001000247	1952022083	क्रम संख्या 01 के अनुसार
3	23-Jan-2026	9001002093	1952022319	क्रम संख्या 01 के अनुसार
4	29-Jan-2026	9001001610	1952022620	क्रम संख्या 01 के अनुसार
5	31-Jan-2026	9001001199	1952022769	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
6	31-Jan-2026	9001001120	1952022817	क्रम संख्या 01 के अनुसार
7	3-Feb-2026	9001000406	1952022909	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
8	3-Feb-2026	9001001433	1952022951	क्रम संख्या 01 के अनुसार
9	6-Feb-2026	9001001611	1952023129	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
10	7-Feb-2026	9001000058	1952023210	क्रम संख्या 01 के अनुसार
11	7-Feb-2026	9001002719	1952023228	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में पूर्व सैनिक उपश्रेणी का दावा किया गया है परन्तु अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी द्वारा पूर्व सैनिक उपश्रेणी सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
12	9-Feb-2026	9001002317	1952023325	क्रम संख्या 01 के अनुसार

ORDINARY GRADE MEDICAL OFFICER EXAMINATION- 2025

अभ्युक्ति युक्त अभ्यर्थियों की सूची

S.No.	Date	Registration No.	Roll No.	Remark
13	10-Feb-2026	9001001166	1952023372	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत स्थाई निवास प्रमाण पत्र (दिनांकित 11.12.2025) ऑनलाईन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 10.12.2025 के उपरान्त का निर्गत किया गया प्रस्तुत किया गया है जो कि स्वीकार्य नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 25 (09) में स्पष्टतः उल्लेख है कि शैक्षिक अर्हता, अनुभव, अधिवास/स्थायी निवास, जाति प्रमाण पत्र, क्षैतिज आरक्षण के लाभ हेतु सम्बन्धित प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हताओं से सम्बन्धित समस्त दावे आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक मान्य होंगे। उसके पश्चात् निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड महिला उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
14	11-Feb-2026	9001001724	1952023433	क्रम संख्या 01 के अनुसार
15	12-Feb-2026	9001002714	1952023539	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में दावित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी संबंधी प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु मान्य है जोकि आवेदन करने की अंतिम तिथि दिनांक 10 दिसम्बर, 2025 तक वैध नहीं है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 15-डी में स्पष्टतः उल्लेख है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु जारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे, जो कि वित्तीय वर्ष 2024-25 की आय के आधार पर जारी किया गया हो। अभ्यर्थी को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में आगणित किया जायेगा।
16	13-Feb-2026	9001001274	1952023608	क्रम संख्या 01 के अनुसार
17	14-Feb-2026	9001002469	1952023638	क्रम संख्या 01 के अनुसार
18	16-Feb-2026	9001002716	1952023737	प्रश्नगत विज्ञापन के नियम 15-एफ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार मात्र ओ0एल0 (एक पैर प्रभावित) दिव्यांगता श्रेणियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा दिव्यांग श्रेणी में दावा करने के पश्चात् अभिलेख सत्यापन में बी0एल0 का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा पूर्व में दावित प्रमाण पत्र गुम हो जाने के कारण नया प्रमाण पत्र जोकि फरवरी, 2026 में जारी है को पूर्व में जारी प्रमाण पत्र के साथ संलग्न किया गया है। चूंकि अभ्यर्थी बी0एल0 दिव्यांगता (दोनों पैर प्रभावित) श्रेणी से सम्बन्धित है अतः अभ्यर्थी को दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
19	19-Feb-2026	9001002566	1952024000	क्रम संख्या 01 के अनुसार
20	20-Feb-2026	9001000479	1952024013	प्रश्नगत विज्ञापन के नियम 15-एफ में स्पष्टतः उल्लेख किया गया है कि दिव्यांग हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून 2023 के अनुसार मात्र ओ0एल0 (एक पैर प्रभावित) दिव्यांगता श्रेणियों को चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभागन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य होगा। चूंकि अभ्यर्थी बी0एल0 दिव्यांगता (दोनों पैर प्रभावित) श्रेणी से सम्बन्धित है अतः अभ्यर्थी को दिव्यांगता उपश्रेणी का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।